Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अक्टूबर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा

- हरियाणा का चुनावी इतिहास 3
- हरियाणा 3
- हरियाणा में शहीदी दिवस 4
- FMDA ने भूजल और आर्द्रता निगरानी परियोजना शुरू की 4
- हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: मतदान प्रतिशत 5
- चुनाव में ज़मानत राशि गँवाना 7
- निर्दलीय विधायकों के लिये दलबदल विरोधी कानून को समझना 7
- हरियाणा विधानसभा प्रोफाइल अवलोकन 9
- हरियाणा में पराली जलाने का संकट 10
- सरस आजीविका मेला 2024 11
- राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 12
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एग्जिट पोल की आलोचना की 13
- हरियाणा पोर्टफोलियो आवंटन 15
- हरियाणा में पराली दहन पर रोक 16
- राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया 17
- हरियाणा दलित उप-कोटा पारित करने वाला पहला राज्य बना 18
- NCR में गंभीर प्रदूषण संकट 20
- हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये महँगाई भत्ता बढ़ाया 21
- राज्य विशिष्ट योजना 22
- वैदिक शिक्षा के लिये भव्य आचार्यकुलम 23

दृष्टि The Vision

नोट :

हरियाणा

हरियाणा का चुनावी इतिहास

चर्चा में क्यों?

हरियाणा एक छोटा किन्तु राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण राज्य है, जहाँ लगातार **राजनीतिक दलबदल** का इतिहास रहा है, तथा इसका चुनावी परिदृश्य प्रमुख परिवारों और जातिगत गतिशीलता से प्रभावित होता है।

मुख्य बिंदु

- **हरियाणा का गठन (वर्ष 1966):**
  - हरियाणा का गठन **1 नवंबर 1966** को अविभाजित पंजाब से अलग करके किया गया था।
  - पंजाब के पूर्व श्रम मंत्री **भगवत दयाल शर्मा** को **पहला मुख्यमंत्री** नियुक्त किया गया।
  - प्रारंभ में हरियाणा में 54 सीटें थीं, जो **वर्ष 1967 में** बढ़कर **81** हो गईं तथा **वर्ष 1977 तक 90** हो गईं।
- **आया राम, गया राम घटना (वर्ष 1967):**
  - **अभिव्यक्ति की उत्पत्ति:** एक निर्दलीय विधायक गया लाल ने एक ही दिन में कई बार दल बदला।
  - **प्रभाव: "आया राम, गया राम"** शब्द भारत में राजनीतिक दलबदलुओं के लिये एक लोकप्रिय शब्द बन गया।
- **प्रमुख नेताओं का राजनीतिक प्रभुत्त्व:**
  - **बंसी लाल (वर्ष 1968-1975):** भिवानी के एक जाट नेता, बंसी लाल ने **आपातकाल तक** सत्ता संभाली।
  - **देवी लाल (वर्ष 1977):** आपातकाल के बाद जनता पार्टी को विजय दिलाई; वर्ष 1979 में भजन लाल ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।
  - **भजन लाल का प्रभाव (वर्ष 1980-1982):** इंदिरा गांधी की कॉन्ग्रेस के साथ गठबंधन किया, बार-बार पार्टी बदलने के बावजूद सत्ता में बने रहे।
  - **लोकदल का प्रभुत्त्व:** देवीलाल की लोकदल ने भाजपा के साथ गठबंधन करके वर्ष 1987 में बहुमत प्राप्त किया।
  - **वी.पी. सिंह का काल:** देवी लाल ने वी.पी. सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का समर्थन किया, उप प्रधानमंत्री बने तथा उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की सत्ता संभाली।
  - **चौटाला के कार्यकाल:** ओम प्रकाश चौटाला वर्ष 1989 से वर्ष 1991 के बीच अनेक बार मुख्यमंत्री रहे।
  - **हुड्डा काल (वर्ष 2005-2014):** कॉन्ग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसका ध्यान रोहतक क्षेत्र पर केंद्रित था।
  - **भाजपा का उदय (वर्ष 2014):** भाजपा ने 47 सीटें जीतीं, जिससे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले गैर-जाट मुख्यमंत्री बने।
- **वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य (वर्ष 2024):**
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:**
    - **शहरी क्षेत्र:** गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत में उद्योग और गैर-कृषि क्षेत्र अधिक हैं।
    - **ग्रामीण क्षेत्र:** रेवाड़ी, जींद, भिवानी जैसे मध्य और दक्षिणी क्षेत्र कृषि प्रधान हैं, तथा यहाँ जाट आबादी अधिक है।
- **जाट बाहुल्य क्षेत्र की चिंताएँ:**
  - **किसानों का विरोध प्रदर्शन:** कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया।
  - **अग्निवीर योजना:** सैनिकों की रोज़गार की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ।

नोट :

- ◆ **पहलवानों का विरोध प्रदर्शन:** भाजपा नेता पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से नाराजगी।
- ◆ **बेरोज़गारी:** युवा रोज़गार के अवसरों से असंतुष्ट हैं।
- **शहरी क्षेत्र:** बुनियादी ढाँचे, रोज़गार और शासन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **जातिगत गतिशीलता:**
- **OBC प्रभाव:** भाजपा और कॉन्ग्रेस दोनों OBC मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं; कॉन्ग्रेस जाति जनगणना और आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है।
- **जाट-दलित गठबंधन:** कॉन्ग्रेस चुनावी लाभ के लिये जाटों और दलितों के बीच ऐतिहासिक विभाजन को पाटने का प्रयास कर रही है।

हरियाणा में शहीदी दिवस

चर्चा में क्यों?

हरियाणा में **शहीदी दिवस** 23 सितंबर, 2024 को भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों, विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानी **राव तुला राम** की याद में मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- **सार्वजनिक अवकाश घोषणा:**
  - ◆ हरियाणा सरकार ने **शहीदी दिवस** पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:**
  - ◆ शहीदी दिवस 1857 के विद्रोह में अग्रणी रहे **स्वतंत्रता सेनानी राव तुला राम** की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।
  - ◆ यह दिन उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिये, **विशेषकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान** अपने प्राणों की आहुति दे दी।

1857 का विद्रोह

- 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ लेकिन यह **13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला छावनी** तक पहुँच गया और गुरुग्राम में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया, जहाँ कलेक्टर विलियम फोर्ड को सिपाहियों के विरोध का सामना करना पड़ा।
- **अहीरवाल में राव तुला राम, पलवल में गफ्फूर अली और हरसुख राय, फरीदाबाद में धनु सिंह, बल्लभगढ़ में नाहर सिंह** आदि हरियाणा में विद्रोह के महत्त्वपूर्ण नेता थे।
- विभिन्न लड़ाइयाँ रियासतों के शासकों और किसानों द्वारा लड़ी गईं, जिनमें कभी-कभी किसानों को ब्रिटिश सेना पर विजय भी मिली। कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण लड़ाइयाँ सिरसा, सोनीपत, **रोहतक और हिसार** में लड़ी गईं। **सिरसा में चोरमार की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी।**

FMDA ने भूजल और आर्द्रता निगरानी परियोजना शुरू की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) ने भूजल** और **आर्द्रता के स्तर** की निगरानी के लिये एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य **जल की कमी की समस्या** का समाधान करना है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना अवलोकन:**
  - ◆ FMDA ने भूजल और भूमिगत आर्द्रता के स्तर की निगरानी के लिये फरीदाबाद के शहरी क्षेत्रों में 100 **पीज़ोमीटर** स्थापित करने की योजना बनाई है।

   - **लगभग 9.5 करोड़ रुपए** की लागत वाली यह परियोजना **गुरुग्राम** में शुरू की जा रही पायलट पहल का हिस्सा है।
   - **ये उपकरण वास्तविक समय के आँकड़े** उपलब्ध कराएंगे, जिससे अधिकारियों को भूजल की स्थिति और इसके ह्रास के लिये ज़िम्मेदार कारकों को समझने में सहायता मिलेगी।
- **तकनीकी सेटअप:**
   - विशेषीकृत संवेदन उपकरण, पीज़ोमीटर, **प्रति इकाई 1,000 मीटर की परिधि में भूजल दबाव और आर्द्रता को मापेंगे।**
   - यह सिस्टम 24/7 निगरानी प्रदान करेगा, जिससे ऑनलाइन डेटा ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। **APCOS लिमिटेड (पूर्व में जल और विद्युत परामर्श सेवाएँ) द्वारा विकसित यह तकनीक जल शक्ति मंत्रालय** के अंतर्गत आती है।

दबाव नापने का यंत्र

- पीज़ोमीटर एक खुली तली वाली ट्यूब होती है जो भूजल के दबाव या किसी जल निकाय के कंटेनर के किनारों पर दबाव को मापती है।
- शब्द पीज़ोमीटर ग्रीक उपसर्ग पीज़ो- से आया है, जिसका अर्थ है "दबाव" और मूल शब्द मीटर, जिसका अर्थ है "मापना"।

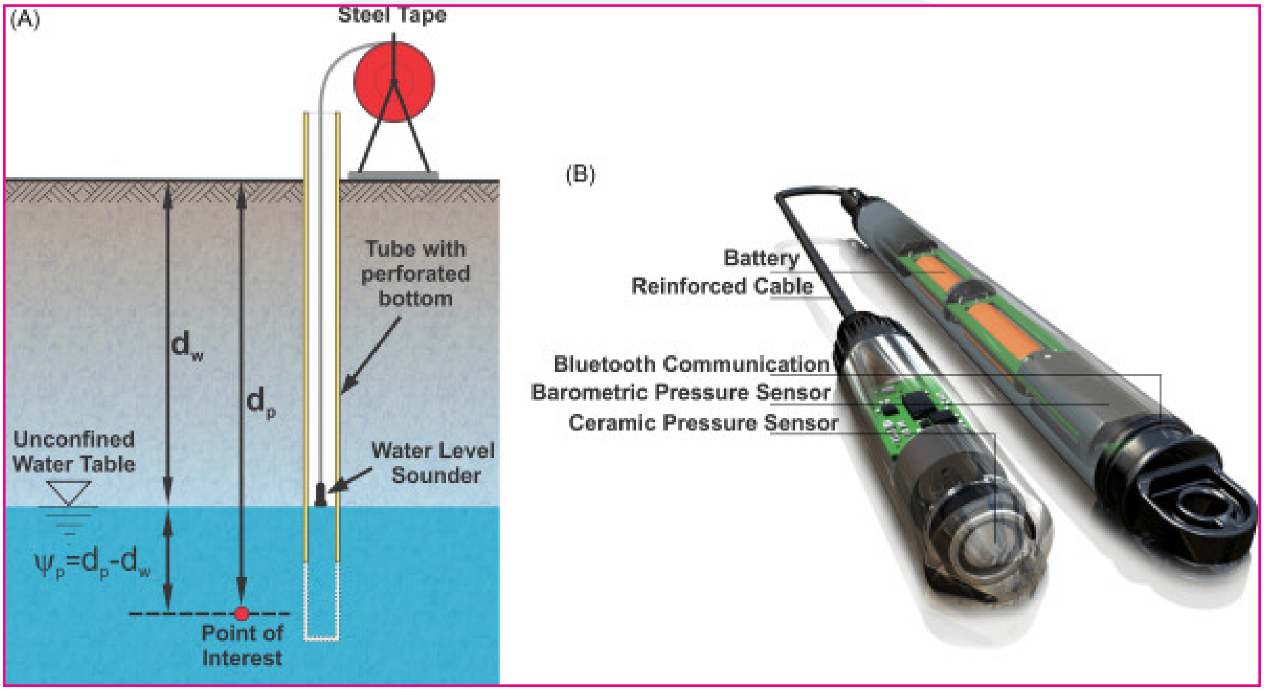

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: मतदान प्रतिशत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा में 15वाँ **विधानसभा आम चुनाव** हुआ, जिसका मतदान **5 अक्तूबर, 2024** को हुआ।

मुख्य बिंदु

- **कुल मतदान प्रतिशत:**
   - हरियाणा में विधानसभा चुनाव में **67.90%** मतदान हुआ।
   - **सर्वाधिक मतदान: सिरसा** ज़िले में **75.36%** मतदान हुआ।
   - **न्यूनतम मतदान: फरीदाबाद** ज़िले में **56.49%** मतदान हुआ।

नोट :

- **विधानसभा क्षेत्रवार मतदान विश्लेषण:**
  - **सर्वाधिक मतदान:** ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में **80.61%** मतदान हुआ।
  - **न्यूनतम मतदान:** बड़खल विधानसभा क्षेत्र में **48.27%** मतदान हुआ।
- **मतदान आँकड़े:**
  - **हरियाणा में कुल मतदाता:** 2,03,54,350
  - **मत डाले गए:** 1,38,19,776
    - **पुरुष:** 74,28,124
    - **महिलाएँ:** 63,91,534
    - **तृतीय लिंग मतदाता:** 118
- मतों की गिनती **8 अक्तूबर, 2024** को होगी।

नोट :

राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद:

- **अनुच्छेद 170:** यह अनुच्छेद राज्यों की विधान सभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 171:** यह अनुच्छेद राज्यों की विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 172:** यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताता है।
- **अनुच्छेद 173:** इसमें विधानसभाओं और परिषदों की सदस्यता के लिये अर्हताओं का विवरण दिया गया है।
- **अनुच्छेद 174:** इस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सत्रों के आह्वान और सत्रावसान के बारे में चर्चा की गई है।
- **अनुच्छेद 175:** यह राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 212:** इसमें कहा गया है कि विधायिका की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

चुनाव में ज़मानत राशि गँवाना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा में काफी प्रयास के बावजूद, एक राजनीतिक दल स्थानीय चुनावों में कोई भी सीट जीतने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वोट प्रतिशत हासिल न कर पाने के कारण **उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई।**

मुख्य बिंदु

- **ज़मानत राशि अधिदेश :**
  - **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के अनुसार, चुनाव लड़ते समय उम्मीदवारों को ज़मानत राशि जमा करनी होती है।
  - **संसदीय चुनाव के लिये:** 25,000 रुपए; **विधानसभा चुनाव के लिये:** 10,000 रुपए।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल वास्तविक रूप से प्रतिबद्ध उम्मीदवार ही नामांकन प्रस्तुत किया जाए।
- **ज़मानत राशि की ज़ब्ती :**
  - किसी उम्मीदवार को ज़मानत बचाने के लिये डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम **छठा हिस्सा** (16.67%) प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा ज़मानत राशि **निर्वाचन आयोग** द्वारा ज़ब्त कर ली जाती है।
- **उदाहरण गणना:**
  - 200,000 वोटों वाली एक विधानसभा सीट पर, उम्मीदवारों को अपनी ज़मानत ज़ब्त होने से बचने के लिये 33,332 से अधिक वोट प्राप्त करने होंगे।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951

- **यह चुनावों और उप-चुनावों** के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है।
- जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 **चुनाव संचालन के लिये प्रशासनिक तंत्र प्रदान करता है।**
- यह **राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।**
- इसमें सदनों की सदस्यता के लिये योग्यताएं और अयोग्यताएँ निर्दिष्ट की गई हैं।
- **इसमें भ्रष्ट आचरण** और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान हैं।
- यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले **संदेहों और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया** निर्धारित करता है।

निर्दलीय विधायकों के लिये दलबदल विरोधी कानून को समझना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों ने विजेता दल को समर्थन दिया, जिससे दल का तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित हो गया। यह स्थिति विशेषकर निर्दलीय विधायकों के लिये दल-बदल विरोधी कानून पर प्रश्न उठाती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- **संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून):**
  - **दसवीं अनुसूची** उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिनके तहत किसी विधायक द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने पर कार्यवाही की जाती है।
  - चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायकों को भी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- **कानून के अंतर्गत तीन परिदृश्य शामिल हैं:**
  - किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ देता है या दल की इच्छा के विरुद्ध वोट देता है।
  - एक निर्दलीय विधायक चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
  - मनोनीत विधायकों के पास नामांकन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिये छह माह का समय होता है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **अयोग्यता प्रक्रिया:**
  - विधानमंडल का **पीठासीन अधिकारी** अयोग्यता पर निर्णय लेता है। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं।
  - इस निर्णय के लिये कोई निर्दिष्ट समय-सीमा नहीं है, जिसके कारण विलंब हो रहा है तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप लग रहे हैं।
  - वर्ष 2023 में, **उच्चतम न्यायालय** ने सुझाव दिया कि दलबदल विरोधी मामलों को तीन महीने के भीतर सुलझाया जाए।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची

- **परिचय:**
  - भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे **दलबदल विरोधी कानून** के नाम से भी जाना जाता है, **1985 में 52वें संशोधन** द्वारा जोड़ी गई थी।
    - यह 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदलने वाले विधायकों द्वारा अनेक राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी।
  - इसमें दलबदल के आधार पर संसद सदस्यों (MP) और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान निर्धारित किये गए हैं।
- **अपवाद:**
  - यह कानून **सांसदों/विधायकों** के एक समूह को दलबदल के लिये दंड दिये बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (अर्थात विलय) की अनुमति देता है और यह दलबदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिये राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है।
  - **दलबदल विरोधी अधिनियम, 1985** के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के एक-तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था।
  - लेकिन **91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** ने इसे बदल दिया और अब कानून की नजर में वैध होने के लिये किसी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का "विलय" के पक्ष में होना आवश्यक है।
- **विवेकाधीन शक्ति:**
  - दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय उस सदन के सभापति या अध्यक्ष को भेजा जाता है, जो **'न्यायिक समीक्षा'** के अधीन होता है।
  - हालाँकि, कानून में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल मामले पर निर्णय लेना होगा।

नोट :

- **दलबदल के आधार:**
  - यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है।
  - यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।
  - यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
  - यदि कोई **मनोनीत सदस्य** छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

हरियाणा विधानसभा प्रोफाइल अवलोकन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा में नई विधानसभा** का चुनाव हुआ, जिसमें आयु, संपत्ति और लिंग प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए।

प्रमुख बिंदु

- **जनसांख्यिकी एवं आयु:**
  - **विधायकों** की औसत आयु 55.6 वर्ष है, जो 2019 (54.8 वर्ष) से थोड़ी अधिक है।
  - सबसे युवा विधायक 25 वर्षीय आदित्य सुरजेवाला हैं और सबसे बुजुर्ग 80 वर्षीय रघुवीर सिंह कादियान हैं।
- **आपराधिक मामले:**
  - 13 विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं: कॉन्ग्रेस के 7, भाजपा के 3 और 3 निर्दलीय।
  - पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सबसे अधिक मामले (8) हैं।
- **धन एवं परिसंपत्तियाँ:**
  - विधायकों की औसत संपत्ति **वर्ष 2019 में 18.29 करोड़ रुपए से बढ़कर 24.87 करोड़ रुपए** हो गई है।
  - सावित्री जिंदल (निर्दलीय, हिसार) 270.66 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे धनी विधायक हैं।
  - सबसे कम धनी विधायक कपूर सिंह (भाजपा, बवानी खेड़ा) हैं, जिनकी संपत्ति 7.2 लाख रुपए है।
- **शिक्षा और व्यवसाय:**
  - 61 विधायक कम से कम स्नातक हैं, तथा विधानसभा में दो-तिहाई सदस्य स्नातक हैं।
  - 44% सामाजिक/राजनीतिक कार्यों में, 41% व्यवसाय में तथा 27% कृषि में लगे हुए हैं।
- **महिला प्रतिनिधित्व:**
  - महिला विधायकों की संख्या **9 से बढ़कर 13** हो गई है, जो वर्ष 2014 के रिकार्ड से मेल खाती है।
  - नई विधानसभा में महिलाओं की संख्या **14%** है, जिनमें से 5 भाजपा से और 7 कॉन्ग्रेस से हैं।

Profile of Haryana Assembly

	2019	2024
Average age	54.8	55.6
MLAs with cases	12	13
Average assets	Rs 18.29 crore	Rs 24.87 crore
MLAs who are at least graduates	62	61
Women MLAs	9	13

Source: EC, ADR • Created with Datawrapper

नोट :

हरियाणा में पराली जलाने का संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि **हरियाणा में पराली जलाने** के 84% मामले सिर्फ सात ज़िलों में केंद्रित हैं, जिससे **वायु प्रदूषण** और **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ** बढ़ रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- **पराली जलाना:**
  - हरियाणा में पराली जलाने की **84 प्रतिशत** घटनाएँ **सात ज़िलों** से आती हैं।
  - सर्वाधिक योगदानकर्त्ता **फतेहाबाद**, **कैथल**, **करनाल**, **जींद**, **कुरूक्षेत्र**, **अंबाला** और **यमुनानगर** हैं।
  - चालू सीज़न में दर्ज **कुल 1,595 खेतों में आग लगने की घटनाओं में से 1,343 घटनाएँ** इन सात ज़िलों में हुई हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - हरियाणा और **दिल्ली-NCR क्षेत्र** में **वायु प्रदूषण** में पराली जलाने का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
  - इन आग से निकलने वाला धुआँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा देता है तथा सर्दियों के महीनों के दौरान पहले से ही खराब हो रही वायु गुणवत्ता को और खराब कर देता है।
- **सरकारी प्रयास:**
  - हरियाणा सरकार ने पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिये विभिन्न पहल की हैं, जिनमें **फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण** जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना भी शामिल है।
  - किसानों को फसल अवशेष के निपटान के लिये पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने हेतु प्रेरित करने हेतु **जुर्माना और प्रोत्साहन** लागू किये गए हैं।
- **किसानों के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - वैकल्पिक तरीकों की **उच्च लागत** और मशीनरी की **सीमित उपलब्धता** के कारण कई किसान पराली जलाना जारी रखते हैं।
  - कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच का छोटा समय किसानों पर दबाव डालता है, जिससे वे त्वरित समाधान, अर्थात पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं।
- **नीति और प्रवर्तन:**
  - उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये दंड का प्रावधान होने के बावजूद, पराली विरोधी कानूनों का प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।
  - सरकार ने **हैप्पी सीडर मशीनों** के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, लेकिन उनका उपयोग धीमी गति से हो रहा है।

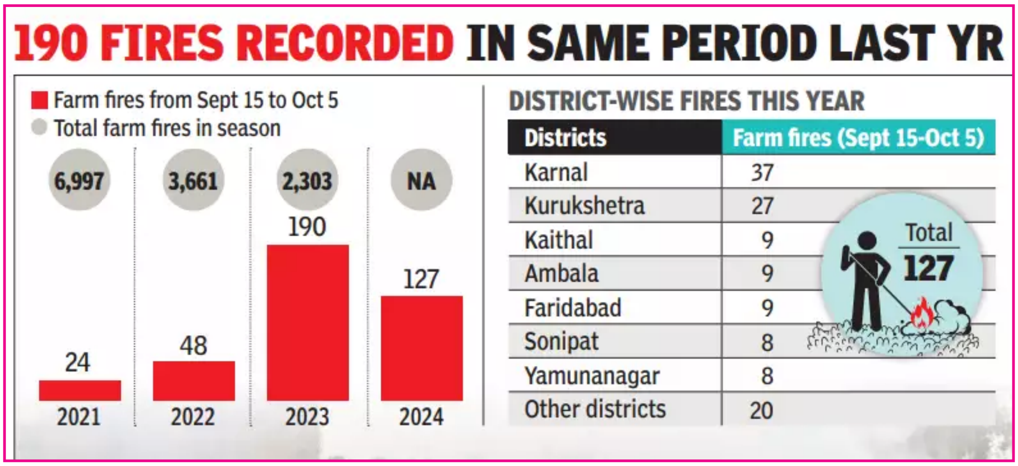

सरस आजीविका मेला 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुरुग्राम में **सरस आजीविका मेला** 2024 शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और संपूर्ण भारत के **स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups- SHG)** के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- **सरस आजीविका मेला:**
  - इसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और **स्वयं सहायता समूह की महिलाओं** को हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों सहित अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं विक्रय के लिये एक मंच प्रदान करना है।
  - इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है।
  - यह मेला एक विपणन चैनल के रूप में कार्य करता है, जहाँ ग्रामीण उत्पादक प्रत्यक्षत: शहरी उपभोक्ताओं से जुड़ सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ाने और बाज़ार पहुँच का विस्तार करने में मदद मिलती है।
  - यह आयोजन ग्रामीण महिला उद्यमियों को व्यापक स्तर पर अपनी शिल्पकला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करके **महिला सशक्तिकरण** में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - सरस मेला जैसी पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और **आत्मनिर्भर भारत** के दृष्टिकोण के तहत **वोकल फॉर लोकल** को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
  - यह पहल **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM)** का हिस्सा है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

- **परिचय:**
- यह एक **केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम** है, जिसे वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये विविध आजीविका को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना है।
- **कार्य:**
  - इसमें सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थाओं के साथ स्व-सहायता की भावना से काम करना शामिल है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक अनूठा प्रस्ताव है।
  - इससे आजीविका पर प्रभाव पड़ता है
    - ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना।
    - प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना।
    - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रदान करना।
    - अपने स्वयं के संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना।
- **उप कार्यक्रम:**
  - **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (Mahila Kisan Shashaktikaran Pariyojana- MKSP):** इसका उद्देश्य कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है जिससे महिला किसानों की आय में वृद्धि हो और उनकी इनपुट लागत और ज़ोखिम कम हो।
  - **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-Up Village Entrepreneurship Programme- SVEP):** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।

नोट :

- **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (Aajeevika Grameen Express Yojana- AGEY):** इसे अगस्त 2017 में दूरदराज के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (Deendayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana- DDUGKY):** इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च वेतन वाले रोज़गार क्षेत्रों में रखना है।
- **ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थान (Rural Self Employment Institutes- RSETI):** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोज़गार अपनाने के लिये कौशल प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थानों (RSETI) को समर्थन दे रहा है।

राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत राष्ट्रीय प्रयासों के साथ जुड़कर **ऊर्जा संरक्षण** पर ज़ोर दे रही है।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य विशेष रूप से बढ़ती **पर्यावरणीय चिंताओं** के आलोक में **ऊर्जा दक्षता** को बढ़ावा देने में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देना है।

मुख्य बिंदु

- **पुरस्कार का उद्देश्य:**
  - ऊर्जा दक्षता प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों, सरकारी संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और व्यक्तियों को मान्यता देकर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना।
  - **नियामक ढाँचा: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** पर आधारित , जो मार्च 2002 में लागू हुआ, जिसमें ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये गए।
- **प्रशासनिक निकाय:**
  - **हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (Haryana Renewable Energy Development Agency- HAREDA)** हरियाणा के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार **राज्य नामित एजेंसी (State Designated Agency- SDA)** के रूप में कार्य करती है। यह **हरियाणा के अक्षय ऊर्जा विभाग** के अधिकार क्षेत्र में है।
- **पुरस्कार श्रेणियाँ:**
  - **पात्र क्षेत्र:** उद्योग, वाणिज्यिक भवन, सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नगर निकाय और व्यक्ति।
  - **मानदंड:** मान्यता ऊर्जा संरक्षण के लिये अभिनव उपायों, नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग और ऊर्जा उपयोग में दक्षता सुधार पर आधारित है। विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - **ऊर्जा संरक्षण में नवाचार**
  - **ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को अपनाना**
  - **ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ**
- **पुरस्कार विवरण:**
  - पुरस्कार में **2 लाख रुपए तक की राशि** शामिल है, जो पुरस्कार की विशिष्ट श्रेणी पर निर्भर करता है। पुरस्कार का उद्देश्य विजेताओं द्वारा ऊर्जा-बचत के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और वित्तीय रूप से समर्थन देना है।
  - ये पुरस्कार **विद्युत् की खपत को कम करने** और सतत् विकास को समर्थन देने के राज्य के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।

- **हालिया घटनाक्रम:**
  - **वर्ष 2024 संस्करण** इन पहलों को जारी रखता है, संस्थानों और व्यक्तियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले आवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहित करता है। आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा और दिशा-निर्देश हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001

- **नियामक ढाँचा**
  - ऊर्जा दक्षता अधिनियम **ऊर्जा दक्षता** के लिये मानक और नीतियाँ स्थापित करता है, तथा **केंद्र और राज्य सरकारों को ऊर्जा उपयोग को विनियमित करने का अधिकार** देता है।
- **ऊर्जा लेखापरीक्षा**
  - प्राधिकारी उन भवनों के ऊर्जा लेखापरीक्षा (Audits) का निर्देश दे सकते हैं जहाँ **ऊर्जा-गहन** उद्योग संचालित होते हैं।
- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE)**
  - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) का गठन **EC अधिनियम के कार्यक्रमों की देखरेख और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा** देने के लिये किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यों में प्रमाणन, जन जागरूकता अभियान और पायलट परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग**
  - ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 सरकार को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना** शुरू करने की अनुमति देता है।
- **ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र**
  - सरकार उन उद्योगों को **ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र** जारी कर सकती है जो अपनी आवंटित ऊर्जा से कम ऊर्जा खपत करते हैं। ये प्रमाणपत्र उन ग्राहकों को विक्रय किये जा सकते हैं जो अपनी आवंटित ऊर्जा से ज़्यादा खपत करते हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एग्जिट पोल की आलोचना की

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और मतगणना के रुझानों के समय से पहले प्रदर्शित होने पर चिंता जताई है। उन्होंने हाल के हरियाणा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि एग्जिट पोल ने अवास्तविक उम्मीदें उत्पन्न कीं और राजनीतिक चिंताओं को जन्म दिया।

मुख्य बिंदु

- **एग्जिट पोल द्वारा विकृति:**
  - एक्जिट पोल प्रायः अवास्तविक उम्मीदें स्थापित करते हैं, जिसके कारण अनुमानित और वास्तविक चुनाव परिणामों के बीच काफी अंतर हो जाता है।
  - हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में अधिकांश **एग्जिट पोल में कॉन्ग्रेस की बड़ी जीत** की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें 50 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक नतीजे इन उम्मीदों से मेल नहीं खाते।
  - इससे जनता और राजनीतिक दलों में निराशा उत्पन्न हो गई तथा कॉन्ग्रेस ने एग्जिट पोल की सटीकता पर चिंता जताई।
- **प्रारंभिक गणना प्रवृत्तियों का समय से पहले प्रदर्शन:**
  - कुछ समाचार चैनलों ने आधिकारिक मतगणना शुरू होने से पहले शुरुआती रुझान प्रसारित किये, जिससे गलत सूचना और अटकलों को बढ़ावा मिला।
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस प्रथा की "बकवास" कहकर आलोचना की तथा कहा कि गणना से पहले दिखाए गए प्रारंभिक रुझान का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा इससे जनता गुमराह हो सकती है।

- उन्होंने बताया कि वास्तविक मतगणना प्रक्रिया **सुबह 8:30 बजे के बाद** शुरू होती है तथा सत्यापित परिणाम **सुबह 9:30 बजे के बाद** **निर्वाचन आयोग** की वेबसाइट पर पोस्ट किये जाते हैं।
- **स्व-नियमन का आह्वान:**
  - यद्यपि निर्वाचन आयोग **सीधे तौर पर एग्जिट पोल को नियंत्रित नहीं** करता है, फिर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आग्रह किया कि **मीडिया और मतदान की निगरानी करने वाली नियामक संस्थाओं** को एग्जिट पोल प्रथाओं में सुधार लाने के लिये कड़ा रुख अपनाना चाहिये।
  - विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये नमूना आकार, मतदान स्थान और डेटा संग्रह विधियों जैसे कारकों सहित एग्जिट पोल पद्धति में पारदर्शिता आवश्यक है।
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मीडिया और मतदान एजेंसियों को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को चुनावों के दौरान **गलत सूचना** से बचने के लिये बेहतर कार्यप्रणाली लागू करनी चाहिये।
- **एक्जिट पोल पद्धति के मुद्दे:**
  - एक्जिट पोल, मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय मतदाताओं के साथ किये गए साक्षात्कारों पर आधारित होते हैं, लेकिन उनकी **सटीकता एकत्रित आँकड़ों की गुणवत्ता और नमूने की प्रतिनिधिता** पर निर्भर करती है।
  - एग्जिट पोल के पीछे की कार्यप्रणाली, जिसमें **नमूने का आकार और प्रतिनिधित्व (जाति, धर्म और भूगोल जैसे** विभिन्न मतदाता प्रोफाइल को प्रतिबिंबित करना) शामिल है, पोल की सटीकता निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **स्विंग मॉडल और भविष्यवाणी की चुनौतियाँ:**
  - एग्जिट पोल पिछले चुनाव के वोट शेयर अनुमानों के आधार पर **सीट आवंटन की भविष्यवाणी करने के लिये स्विंग मॉडल** का उपयोग करते हैं।
  - हालाँकि, हरियाणा जैसे जटिल राजनीतिक माहौल में, जहाँ विभिन्न पार्टियाँ और गठबंधन शामिल हैं, ये स्विंग मॉडल अक्सर मतदाता व्यवहार में बदलाव अथवा गठबंधन में बदलाव को पकड़ने में विफल रहते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग

परिचय:

- **भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को (**राष्ट्रीय मतदाता दिवस** के रूप में मनाया जाता है) की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- यह निकाय भारत में **लोकसभा**, **राज्यसभा** और **राज्य विधानसभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति** और **उपराष्ट्रपति** के पदों के लिये होने वाले निर्वाचनों का संचालन करता है।
  - इसका राज्यों में **पंचायतों** और **नगरपालिकाओं** के निर्वाचनों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में अलग से **राज्य निर्वाचन आयोग** का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
  - **अनुच्छेद 324:** चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
  - **अनुच्छेद 325:** किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिये अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता।
  - **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।

- **अनुच्छेद 327:** विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 329:** चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध।

- **निर्वाचन आयोग की संरचना:**
  - मूलत: निर्वाचन आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन **निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989** के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया।
  - निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या (यदि कोई हो) शामिल होगी, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें।
  - वर्तमान में, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त (EC) शामिल हैं।
  - राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- **आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
  - राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति **मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023** के अनुसार करते हैं।
  - उनका कार्यकाल निश्चित रूप से छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तें **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के समतुल्य होंगी।
- **हटाना:**
- वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

हरियाणा पोर्टफोलियो आवंटन

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के नए मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों को संतुलित करने के लिये विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल **13 मंत्री** हैं।

प्रमुख बिंदु

- **हरियाणा के मंत्रियों की सूची और विभाग (2024):**
  - **नायब सैनी (मुख्यमंत्री):** गृह, वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन, सूचना एवं जनसंपर्क, न्याय, सामान्य प्रशासन, आवास, CID, कार्मिक, विधि एवं विधायी, अन्य पद जो किसी को आवंटित नहीं किये गए।
  - **अरविंद कुमार शर्मा:** सहकारिता, जेल, चुनाव, विरासत और पर्यटन।
  - **श्याम सिंह राणा:** कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन।
  - **रणबीर सिंह गंगवा:** लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण।
  - **कृष्ण कुमार बेदी:** सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय, आतिथ्य।
  - **कृष्ण लाल पंवार:** विकास, पंचायतें, खान एवं भूविज्ञान।
  - **राव नरबीर सिंह:** उद्योग, पर्यावरण, सैनिक कल्याण।

- **महिपाल ढांडा:** स्कूल एवं उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य।
- **विपुल गोयल:** राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय, नागरिक उड्डयन।
- **श्रुति चौधरी:** महिला एवं बाल विकास, सिंचाई।
- **आरती सिंह राव:** स्वास्थ्य, आयुष।
- **राजेश नागर:** खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (स्वतंत्र प्रभार)।
- **गौरव गौतम:** युवा सशक्तिकरण, खेल, विधि एवं विधायी (संलग्न)।

- **91वाँ संशोधन अधिनियम:**
  - **संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003** ने **अनुच्छेद 164** में खंड 1A जोड़ा, जो कहता है कि "किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।"

हरियाणा में पराली दहन पर रोक

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पराली दहन के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट को दूर करने में राज्य सरकार की **"पूर्ण असंवेदनशीलता"** पर चिंता व्यक्त की।

- न्यायालय ने **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management- CAQM)** को उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- **अधिकारियों का निलंबन:**
  - हरियाणा सरकार ने राज्य में पराली दहन की रोकथाम में विफल रहने के कारण **कृषि विभाग के 24 अधिकारियों** को निलंबित कर दिया है। पराली दहन की प्रथा से **वायु प्रदूषण** गंभीर हो रहा है।
  - हरियाणा सरकार ने पराली दहन पर रोक लगाने के लिये सख्त नीतियाँ लागू की हैं, जिससे सर्दियों के दौरान **NCR** और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
- **पराली जलाना:**
  - पराली जलाना धान, गेहूँ आदि जैसे अनाज की कटाई के बाद बचे **पुआल** के ठूँठ को आग लगाने की एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इसकी आवश्यकता उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संयुक्त कटाई पद्धति का उपयोग किया जाता है जिससे फसल अवशेष बच जाते हैं।
  - यह अक्तूबर और नवंबर में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक सामान्य प्रथा है।
- **पराली दहन के प्रभाव:**
  - **प्रदूषण:**
    - यह वायुमंडल में भारी मात्रा में विषैले प्रदूषक उत्सर्जित करता है, जिनमें **मीथेन (CH4)**, **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**, **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)** और कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें शामिल हैं।
    - ये प्रदूषक आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं, **भौतिक और रासायनिक परिवर्तन** से गुज़रते हैं और अंततः सघन **धुंध (Smog)** की चादर का निर्माण करके मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
  - **मृदा उर्वरता:**
    - मृदा पर परली जलाने से मृदा के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा कम उपजाऊ हो जाती है।
  - **उष्मीय आरोहण:**
    - पराली दहन से उत्पन्न ऊष्मा मृदा में प्रवेश कर जाती है, जिससे नमी और उपयोगी सूक्ष्मजीवों की हानि होती है।

- **पराली दहन के विकल्प:**
  - तकनीक का उपयोग- उदाहरण के लिये **टर्बो हैप्पी सीडर (THS)** मशीन, जो पराली को नष्ट कर सकती है और साफ किये गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। पराली को फिर खेत में मल्च के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management- CAQM)

- **परिचय:**
  - CAQM **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021** के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
    - इससे पहले, **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021** की घोषणा के माध्यम से आयोग का गठन किया गया था।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 ने वर्ष 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) को भी भंग कर दिया।
- **उद्देश्य:**
- वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान सुनिश्चित करना तथा उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों का समाधान करना।
- **क्षेत्र:**
  - निकटवर्ती क्षेत्रों को NCR से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ प्रदूषण का कोई भी स्रोत NCR में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **संघटन:**
  - आयोग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जो भारत सरकार का सचिव अथवा किसी राज्य सरकार का **मुख्य सचिव** रह चुका हो।
  - अध्यक्ष तीन वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर बने रहेंगे।
  - इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ-साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
  - इसमें **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)**, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** **और** **सिविल सोसाइटी** के विशेषज्ञ शामिल होंगे ।
- **कार्य:**
  - संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) द्वारा की गई कार्यवाही का समन्वय करना।
    - NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये योजनाएँ बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना।
    - वायु प्रदूषकों की पहचान के लिये एक ढाँचा प्रदान करना।
    - तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करना।
    - वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये विशेष कार्यबल का प्रशिक्षण एवं सृजन।
    - विभिन्न कार्य योजनाएँ तैयार करना, जैसे वृक्षारोपण बढ़ाना और **पराली दहन** **की समस्या से निपटना**।

राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजेश खुल्लर को हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्हें कैबिनेट दर्जा नहीं दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- **कानूनी ढाँचा: राज्य सरकार को** अपने प्रशासनिक विवेक के तहत **सलाहकारों और सचिवों** की नियुक्ति करने का अधिकार है।
    - इसी तरह के पदों के विपरीत, **खुल्लर की नियुक्ति के साथ कैबिनेट रैंक नहीं दी गई है,** जिसका अर्थ है कि उन्हें मंत्रियों के समान सुविधाएँ नहीं मिलेंगी या कैबिनेट ज़िम्मेदारियाँ नहीं होंगी।
    - खुल्लर की भूमिका में **विधायी या कैबिनेट की भागीदारी को छोड़कर प्रशासनिक निर्णयों, नीति निर्माण और रणनीतिक शासन में मुख्यमंत्री की सहायता** करना शामिल है।
- **राज्य की शक्तियाँ:** राज्य सरकार, अनुच्छेद 162 के तहत, प्रशासनिक सलाहकार भूमिकाओं में व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है।

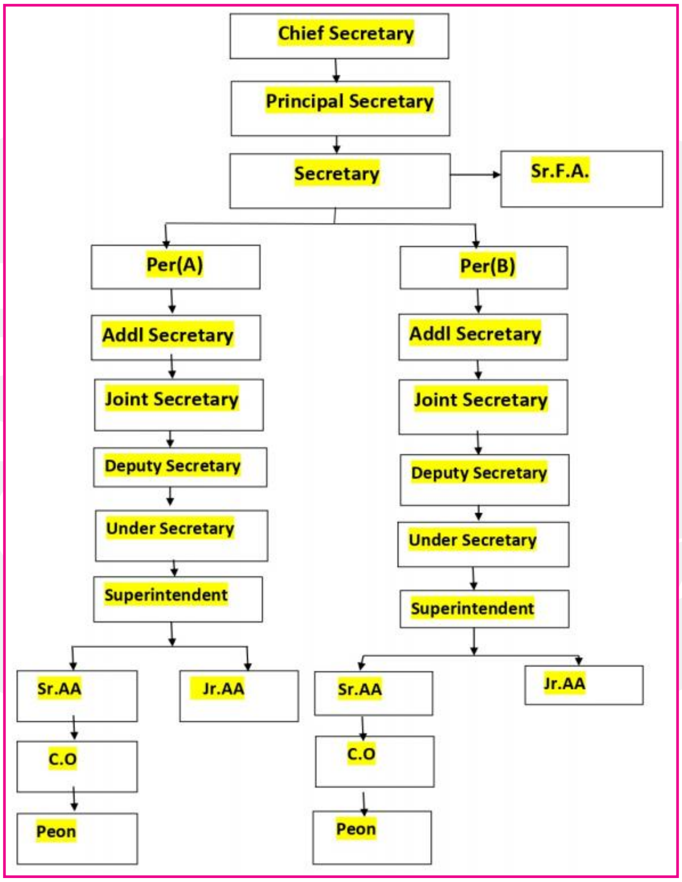

हरियाणा दलित उप-कोटा पारित करने वाला पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण के भीतर उप-कोटा को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया , जो सकारात्मक कार्यवाही नीतियों में एक महत्त्वपूर्ण विकास है।

प्रमुख बिंदु

- **दलित उपकोटा अनुमोदन:** हरियाणा सरकार ने **20% अनुसूचित जाति आरक्षण** को दो भागों में विभाजित करने को मंजूरी दी: **50% "वंचित" अनुसूचित जाति के लिये** और **50% अन्य अनुसूचित जाति के लिये।**

नोट :

- हरियाणा सरकार ने **वर्ष 2020 में हरियाणा अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम पारित किया था**, जिसके तहत राज्य के **उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित 20% सीटों में से 50% सीटें एक नई श्रेणी, वंचित अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित की गई थीं।**
- इस कदम का लक्ष्य समूह के भीतर आर्थिक असमानताओं को पहचानते हुए अनुसूचित जाति के बीच लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
- **"वंचित" जातियों** की पहचान करने के लिये **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एच.एस. भल्ला** की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था।

- हरियाणा में **अनुसूचित जातियों की जनसंख्या** काफी अधिक है (**20% से अधिक**), आंतरिक असमानता लंबे समय से एक मुद्दा रहा है।
- **कानूनी और संवैधानिक आधार:** राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर निर्भर करती है, जो अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श के बाद, जातियों, मूलवंशों, जनजातियों अथवा जातियों या मूलवंशों के भीतर समूहों के हिस्सों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
- आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी **अनुसूचित जाति के लिये उप-कोटा** लागू करने के ऐसे ही प्रयास किये गए हैं, लेकिन हरियाणा का कदम औपचारिक रूप से मंज़ूरी पाने वाला पहला कदम है।

SC और ST के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- **उप-वर्गीकरण की अनुमति:** न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यों को संवैधानिक रूप से पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति है।
  - **सात न्यायाधीशों की पीठ** ने निर्णय सुनाया कि राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिये **15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत** कर सकते हैं।
  - **भारत के मुख्य न्यायाधीश** ने **"उप-वर्गीकरण"** और **"उप-श्रेणीकरण"** के बीच अंतर पर ज़ोर दिया, तथा इन वर्गीकरणों का उपयोग वास्तविक उत्थान के बजाय राजनीतिक तुष्टिकरण के लिये करने के प्रति आगाह किया।
    - न्यायालय ने कहा कि उप-वर्गीकरण मनमाने या राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य आँकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिये।
  - निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये राज्यों को अपने उप-वर्गीकरण को अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित करना चाहिये।
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी उप-वर्ग के लिये 100% आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। उप-वर्गीकरण पर राज्य के निर्णय राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिये न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत, जो पहले केवल **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** पर लागू होता था (जैसा कि **इंद्रा साहनी वाद** में परिलक्षित हुआ था), अब SC और ST पर भी लागू होना चाहिये।
    - इसका मतलब है कि राज्यों को SC और ST के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिये और उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करना चाहिये। यह निर्णय आरक्षण के लिये अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक प्राप्त हो जो वास्तव में वंचित हैं।
  - न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिये।

- यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ लिया है और उच्च दर्जा प्राप्त किया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा।
- **निर्णय का औचित्य:** न्यायालय ने माना कि प्रणालीगत भेदभाव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ सदस्यों को आगे बढ़ने से रोकता है, और इसलिये, **संविधान के अनुच्छेद 14** के तहत उप-वर्गीकरण इन असमानताओं को दूर करने में मदद कर सकता है
- यह दृष्टिकोण राज्यों को इन समूहों के सबसे वंचित लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिये आरक्षण नीतियों को तैयार करने की अनुमति देता है।

NCR में गंभीर प्रदूषण संकट

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक बना हुआ है, जो खेतों में आग लगाने तथा अन्य कारकों के कारण और भी खराब हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI):**
  - **पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 तक पहुँच गया**, जो "गंभीर" प्रदूषण का संकेत है; अन्य NCR क्षेत्रों में भी स्तर बढ़ने की सूचना है।
  - **AQI** लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में प्रभावी ढंग से जानकारी देने का एक साधन है, जिसे समझना आसान है।
  - AQI को आठ प्रदूषकों अर्थात **PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिये विकसित किया गया है।**
- **प्राथमिक कारण :**
  - हरियाणा और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों में **पराली जलाने** के साथ-साथ वाहनों से निकलने वाले धुएँ और औद्योगिक प्रदूषण में भी अत्यधिक योगदान होता है।
  - प्रदूषण का उच्च स्तर, विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, जिसके कारण आपातकालीन उपायों की आवश्यकता पड़ती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)	श्रेणी
0-50	अच्छा (Good)
51-100	संतोषजनक (Satisfactory)
101-200	मध्यम (Moderate)
201- 300	खराब (Poor)
301-400	बहुत खराब (Very Poor)
401-500	गंभीर (Severe)

नोट :

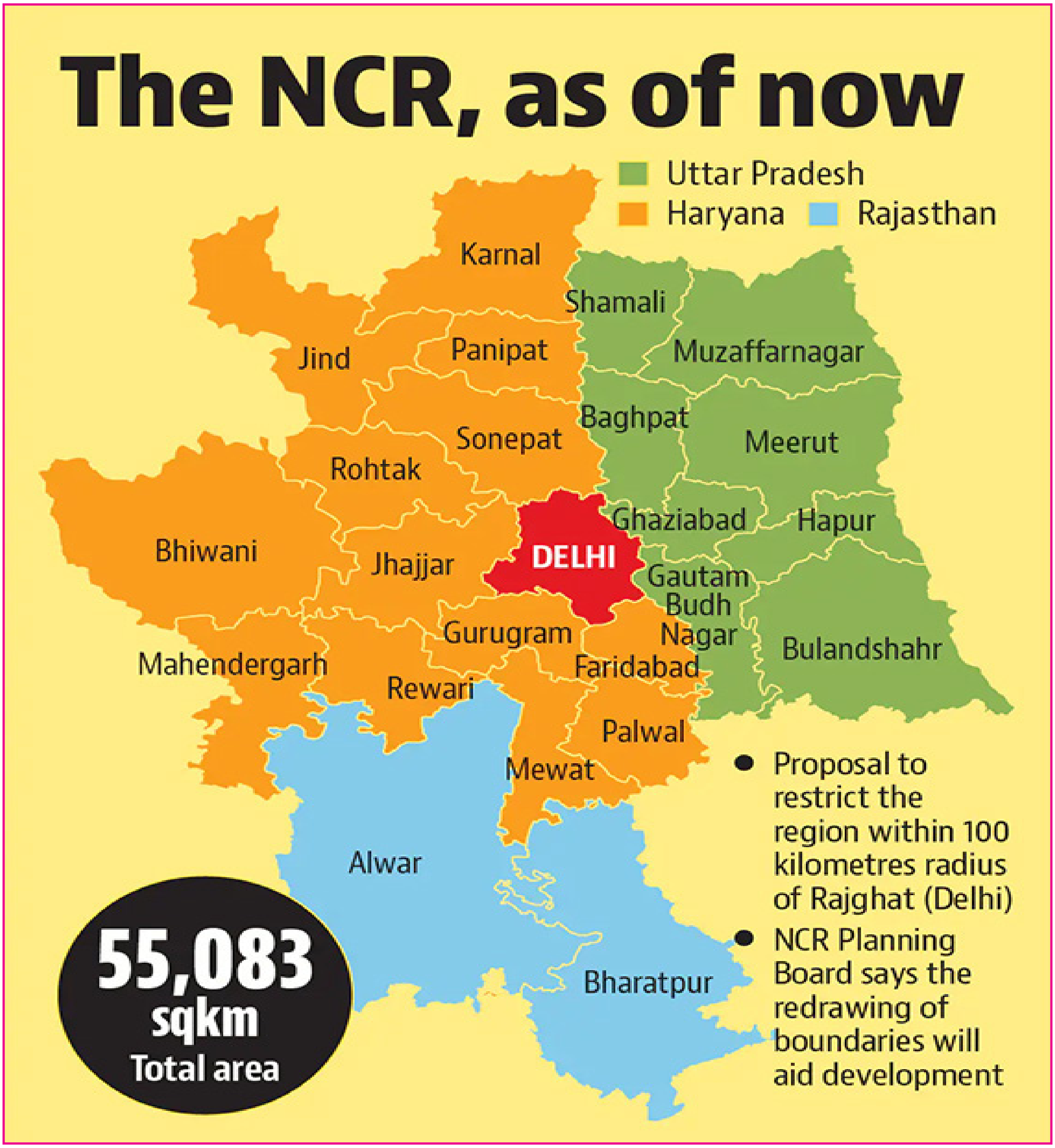

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये महँगाई भत्ता बढ़ाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, हरियाणा सरकार ने महँगाई के प्रभावों को दूर करने के लिये राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये **महँगाई भत्ते (DA)** में 3% की वृद्धि को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- **नई DA दर:**
  - **महँगाई भत्ते** में **3%** की वृद्धि की गई है, जिससे वर्तमान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को लाभ होगा।
  - यह परिवर्तन एक निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा, जिसका प्रभाव मासिक वेतन गणना और पेंशन वितरण पर पड़ेगा।
  - इस बढ़ोतरी का उद्देश्य **मुद्रास्फीति** के प्रभावों को कम करना तथा अतिरिक्त मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
  - **उपभोक्ता व्यय में वृद्धि:** इस वृद्धि से प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, विशेष रूप से त्यौहारों के समय, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है।
  - **मुद्रास्फीति नियंत्रण:** DA कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद करता है, लेकिन यदि आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
  - **राजकोषीय दबाव:** सरकार के लिये, महँगाई भत्ते में वृद्धि से व्यय में वृद्धि होती है, जिससे राजकोषीय बजट पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन उपभोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

महँगाई भत्ता (Dearness Allowance- DA)

- यह महँगाई को संतुलित करने के लिये जीवन-यापन की लागत का समायोजन है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है

राज्य विशिष्ट योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा ने **पराली दहन** की समस्या से निपटने के लिये **राज्य विशिष्ट योजना** शुरू की है, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के मौसम के दौरान **वायु गुणवत्ता** को बनाए रखना है।

प्रमुख बिंदु

- **राज्य विशिष्ट योजना:**
  - हरियाणा की **राज्य विशिष्ट योजना** किसानों के लिये प्रोत्साहन और संसाधनों के माध्यम से **पराली दहन** में कमी लाने पर केंद्रित है, तथा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है जहाँ धान की कटाई के बाद पराली अवशेष के रूप में बचती है।
- **सब्सिडी और संसाधन:**
  - सरकार पर्यावरण अनुकूल निपटान विधियों को बढ़ावा देने के लिये फसल अवशेष प्रबंधन के लिये **हैप्पी सीडर्स और सुपर SMS सिस्टम** जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- **दंड और पुरस्कार:**
  - पराली दहन के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही नियमों का पालन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिसका उद्देश्य दंडात्मक और सहायक उपायों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- **पर्यावरणीय लक्ष्य:**
  - यह पहल **सतत् कृषि पद्धतियों** को बढ़ावा देने, **वायु प्रदूषण** को कम करने और **श्वसन संबंधी स्वास्थ्य ज़ोखिमों** को कम करने के माध्यम से **राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों** के अनुरूप है।

पराली दहन के विकल्प

- **पूसा डीकंपोजर:** ये **डीकंपोजर** कवकों के उपभेदों को निकालकर बनाए गए कैप्सूल के रूप में होते हैं जो धान की पराली को बहुत तेज़ी से विघटित करने में मदद करते हैं।

नोट :

- **हैप्पी सीडर:** यह ट्रैक्टर पर लगाया जाने वाला उपकरण है जो पराली दहन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है।
  - यह चावल के भूसे को काटकर और उठाकर, साथ ही साथ खुली मृदा में गेहूँ की बुवाई करके, तथा भूसे को बोए गए क्षेत्र पर सुरक्षात्मक मल्च के रूप में जमा करके काम करता है।
- **पैलेटाइजेशन:** धान की पराली को जब सुखाकर पैलेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन स्रोत बन जाता है।
  - कोयले के साथ मिश्रित करने पर इन पैलेट का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों और उद्योगों में किया जा सकता है, जिससे कोयले के उपयोग में बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

वैदिक शिक्षा के लिये भव्य आचार्यकुलम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने **वैदिक संस्कृति** और प्राचीन भारतीय शिक्षा को संरक्षित करने के लिये एक प्रतिष्ठित ***आचार्यकुलम*** या **पारंपरिक स्कूल** बनाने की योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- **संस्था का फोकस:**
  - आचार्यकुलम का उद्देश्य **वैदिक शिक्षाओं, संस्कृत और भारतीय परंपराओं** को पुनर्जीवित करना तथा छात्रों के बीच **सांस्कृतिक विरासत** को बढ़ावा देना है।
- **सुविधाएँ एवं बुनियादी ढाँचा:**
  - इसमें उन्नत शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी तथा पारंपरिक गुरुकुल मूल्यों का पालन करते हुए छात्रों को समग्र शिक्षण वातावरण प्रदान किया जाएगा।
- **सरकारी सहायता:**
  - राज्य सरकार आधुनिक शिक्षा को प्राचीन ज्ञान के साथ एकीकृत करने तथा भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने की व्यापक पहल के साथ तालमेल बिठाने के महत्त्व पर बल देती है।

वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व)

- साहित्य के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में, वैदिक ग्रंथ विकास के दो चरणों को दर्शाते हैं।
- ऋग्वैदिक काल, जिसे प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, वह समय है जब ऋग्वैदिक भजनों की रचना की गई थी, जो 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच था।
- बाद का चरण, जिसे उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, 1000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है।